–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0–42 / 2023

उनवान –सरकार बनाम उदय जैन पुत्र रमेश चंद जैन जाति जैन मालिक मैसर्स –अगम फूड प्रोडक्ट्स , जी0टी0 रोड मनियॉ धौलपुर निवासी जी0टी0रोड मनियॉ धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/54एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

न्याय निर्णायक अधिकारी एवअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

निर्णय दिनांक –29.11.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री उदय जैन पुत्र रमेश चंद जैन जाति जैन मालिक मैसर्स –अगम फूड प्रोडक्ट्स , जी0टी0 रोड मनियॉ धौलपुर निवासी जी0टी0रोड मनियॉ धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/54 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.05.2023 को सांय 4.30 पीएम वजे अभियुक्त /अप्रार्थी की दुकान मैसर्स –अगम फूड प्रोडक्ट्स , जी0टी0 रोड मनियॉ धौलपुर का निरीक्षण के दौरान। लगभग 200 किलोग्राम बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित) को आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। अभियुक्त से बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित) विक्रय का खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया। उक्त बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित)में मिलावट का शक होने पर उक्त 2 किलोग्राम बर्फी वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित)नमूना डी–2812 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की रिपोर्ट एलएस / 637 / एक्ट / 2023 / 681 दिनांक 06.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित) Food Containing Extraneous Matter प्रकृति का होना पाया गया। जिसका जुर्माना धारा 54 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त/अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 28.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय वहस सुनी गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की रिपोर्ट एलएस / 637 / एक्ट / 2023 / 681 दिनांक 06.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित) Food Containing Extraneous Matter प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभॉति सिद्व होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त Food Containing Extraneous Matter बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii)/54 का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी Food Containing Extraneous Matter बर्फी (एसएमपी,रिफाईण्ड पॉमोलिन ऑयल एवं चीनी से निर्मित) बेचने का दोषी है जो धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Scanned with OKEN Scanner

—: राजस्थान सरकार:--

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 42/2023 सरकार बनाम उदय जैन

अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री उदय जैन पुत्र रमेश चंद जैन जाति जैन मालिक मैसर्स —अगम फूड प्रोडक्ट्स , जी0टी0 रोड मनियॉ धौलपुर निवासी जी0टी0रोड मनियॉ धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के तहत 51000/—रुपये (इक्यावन हजार रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। अभियुक्त/अप्रार्थी श्री उदय जैन पुत्र रमेश चंद जैन जाति जैन मालिक मैसर्स —अगम फूड प्रोडक्ट्स , जी0टी0 रोड मनियॉ धौलपुर निवासी जी0टी0रोड मनियॉ धौलपुर जिला धौलपुर से उक्त जुर्माना राशि 51000/—रू0 भू—राजस्व अधिनियम के तहत वसूली हेतु तहसीलदार मनियॉ जिला धौलपुर को लिखा जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(धीरेन्द्र सिंह)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

Scanned with OKEN Scanner